



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 सितम्बर 2015—आश्विन 2, शक 1937

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2015

एफ 30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना एफ 30-08-2002-दस-3 क्रमशः दिनांक 16 मई 2005, 11 अप्रैल 2007 एवं 7 मई 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज की निम्नलिखित प्रजातियों को, जो नीचे सारणी में दर्शित हैं, उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	वृक्ष का नाम (2)	प्रजाति का नाम (3)
(एक)	नीलगिरी	यूकेलिप्टस प्रजातियां
(दो)	कैसूरिना	कैसूरिना इक्विविसिटीफोलिया
(तीन)	पोपलर	पापुलस प्रजातियां
(चार)	सुबबूल	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला
(पांच)	इजरायली बबूल	एकेशिया टॉरटिलिस
(छह)	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
(सात)	आस्ट्रेलियन बबूल	एकेशिया ऑरिकुलीफारमिस

(1)	(2)	(3)
(आठ)	ववूल	अकेशिया निलोटिका
(नीं)	खमेर	मेलार्इना आरबोरिया
(दस)	महारूख	ऐलेन्थस एक्सेल्सा
(ग्यारह)	कदम्य	एन्थोसेफलस कदम्बा
(बारह)	केसिया साइमिया	केसिया साइमिया
(तेरह)	गुलमोहर	डेलोनिकस रेजिया
(चौदह)	जेकरंडा	जेकरंडा माइमोसिफोलिया
(पन्द्रह)	सिल्वर ओक	ग्रेविलिया रोबस्टा
(सोलह)	पाम	पाम प्रजातियाँ
(सत्रह)	वेर	जिजीफस जुजुबा
(अठारह)	शहतूत	मोरस अल्बा
(उन्नीस)	कटहल	आर्टोकार्पस हेट्रोफिल्लस
(बीस)	अमरूद	साइडियम गुआवा
(इक्कीस)	नीम्बू, संतरा, मोसम्बी	सिट्रस प्रजातियाँ
(बाईस)	मुनगा	मोरिंगा ऑलिफेरा
(तेईस)	मौलश्री	माइमूसाप्स एलेन्जाई
(चौबीस)	अशोक	पालिएल्थिआ लांगीफोलिया, सरक्का असोका
(पच्चीस)	पुत्रंजीवा	पुत्रंजीवा रौक्सबरगाई
(छब्बीस)	इमली	टैमिरिन्डस इन्डिका
(सत्ताईस)	जामुन	साइजियम क्यूमिनि
(अट्ठाईस)	आम	मैजीफेरा इन्डिका
(उन्तीस)	सप्तपर्णी	एल्स्टोनिया स्कॉलेरिस
(तीस)	कैथा	फैरोनिया लिमोनिया
(इकतीस)	जंगल जलेबी	पिथेकोलोबियम डल्से
(बत्तीस)	पेल्टाफोरम	पेल्टाफोरम फेरूजीनियम
(तैंतीस)	नीम	अजाडिरेक्टा इन्डिका
(चौंतीस)	बकैन	मेलिया अजाडिरे
(पैंतीस)	सिस्सू	डलबर्जिया सिस्सू
(छत्तीस)	करंज	पौंगेमिया पिन्नाटा
(सैंतीस)	पलाश	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
(अड़तीस)	सफेद सिरस	अलबिजिया प्रोसेरा
(उनतालीस)	पीपल	फाईकस रेलिजिओसा
(चालीस)	बरगद	फाईकस बेंगालेन्सिस

(1)	(2)	(3)
(इकतालीस)	गूलर	फाईकस ग्लोमेराटा
(बयालीस)	खर	फाईकस इलास्टिका
(तीतालीस)	सेमल	बॉम्बेक्स सीबा
(चवालीस)	कपोक	सीबा पेन्टेन्डा
(पैंतालीस)	चिरोल	होलोप्टेलिया इन्ट्रिफोलिया
(छियालीस)	ग्लेरिसीडिया	ग्लेरिसीडिया प्रजाति
(सैंतालीस)	रिमझा	अकेसिया ल्यूकोफ्लोयिआ
(अड़तालीस)	मीठी नीम	मुराया कोइनीजाई
(उनन्चास)	गुड़हल/जासोन	हिबिस्कस रोसा-साइनेंसिस
(पचास)	शंकुधारी प्रजातियां	शंकुधारी प्रजातियां (चीड़, कैल, देवदार तथा पाईन प्रजातियां).
(इक्यावन)	बांस	डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रक्टस-खण्डवा, बुरहानपुर, वैतूल, हरदा, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी और मंडला जिलों के सिवाय अन्य जिलों में. डेंड्रोकेलेमस स्ट्रक्टस को छोड़कर अन्य सभी बांस प्रजातियां.
(बावन)	बांस की अन्य प्रजातियां	डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रक्टस को छोड़कर अन्य सभी बांस प्रजातियां.
(तिरपन)	आयातित काष्ठ प्रजातियां	आयातित काष्ठ की समस्त प्रजातियां जो मध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, चाहे वे किन्हीं अन्य नामों से जानी जाती हों.

**टिप्पणी.**—परन्तु कोई व्यक्ति उसके स्वामित्व ऐसी प्रजातियों की वनोपज हेतु अभिवहन पास की मांग करता है तो अभिवन पास, इस निमित्त प्राधिकृत, वन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा.

F. 30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 and in supersession of this department's Notification F-30-8-2002-X-3 respectively dated 16th May 2005, 11th April 2007, 7th May 2012, the State Government, hereby, exempts the following species of forest produce owned by any person, from the operation of the said rules as shown in the table below, namely:—

S. No. (1)	Name of Tree (2)	Name of Species (3)
(i)	Neelgiri	Eucalyptus Species
(ii)	Casuarina	Casuarina Equisetifolia
(iii)	Poplar	Populus Species
(iv)	Subabul	Leucaena Leucocephala
(v)	Israili Babul	Acacia Tortilis
(vi)	Vilayati Babul	Prosopis Juliflora
(vii)	Australian Babul	Acacia Auriculiformis
(viii)	Babul	Acacia Nilotica
(ix)	Khamer	Gmelina Arborea



(1)	(2)	(3)
(x)	Maharukh	Ailanthus Excelsa
(xi)	Kadamb	Anthocephalus Kadamba
(xii)	Cassia Siamea	Cassia Siamea
(xiii)	Gulmohar	Delonix Regia
(xiv)	Jaccaranda	Jaccaranda Mimusifolia
(xv)	Silver Oak	Grevillea Robusta
(xvi)	Palm	Palm Species
(xvii)	Ber	Zizyphus Jujuba
(xviii)	Mulberry	Morus Alba
(xix)	Katahal	Artocarpus Heterophyllus
(xx)	Amrood	Psidium Guava
(xxi)	Nimbu, Santra, Mussambi	Citrus Species
(xxii)	Munga	Moringa Oleifera
(xxiii)	Molshri	Mimusops Elengii
(xxiv)	Ashok	Polyalthea Longifolia, Saraca Asoca
(xxv)	Putranjiva	Putranjiva Roxburghii
(xxvi)	Imli	Tamarindus Indica
(xxvii)	Jamun	Syzygium Cumini
(xxviii)	Mango	Mangifera Indica
(xxix)	Saptarni	Alstonia Scholaris
(xxx)	Kaitha	Feronia Limonia
(xxxii)	Jungle Jalebi	Pithecellobium Dulce
(xxxiii)	Pettlaphorum	Peltaphorum Ferrugineum
(xxxiv)	Neem	Azadirachta Indica
(xxxv)	Bakain	Melia Azadirach
(xxxvi)	Sissoo	Dalbergia Sissoo
(xxxvii)	Karanj	Pongamia Pinnata
(xxxviii)	Palash	Butea Monosperma
(xxxix)	Safed Sirus	Albizzea Procera
(xl)	Pipal	Ficus Religiosa
(xli)	Bargad	Ficus Bengalensis
(xlii)	Gular	Ficus Glomerata
(xliii)	Rubber	Ficus Elastica
(xliv)	Semal	Bombax Ceiba
(xlv)	Kapok	Ceiba Pentandra
(xlvi)	Chirol	Holoptelia Integrifolia
(xlvii)	Gliricidea	Gliricidea Species
(xlviii)	Rimjha	Acacia Leucophloea
(xlix)	Mithi Neem	Murraya Koenigii
(xli)	Gurhal, Jasoun	Hibiscus Rosa-sinensis

(1)	(2)	(3)
(i)	Conifers	Coniferous Species (Chir, Kail, Deodar and Pine Species).
(ii)	Bamboo	Dendrocalamus Strictus In all districts except in districts of Khandwa, Burhanpur, Betul, Chhindwara, Balaghat, Seoni, Shahdol, Umaria, Jabalpur, Katni and Mandla.
(iii)	Other Bamboo Species	All Species of Bamboo other than Dendrocalamus Strictus.
(iiii)	Imported Timber Species.	All other Species of Imported Timber which or not found in Madhya Pradesh, even if they are known by some other names.

**Note.**—If any person demands tranist pass for Forest produce of such species, owned by him, it shall be issued by a Forest Officer, authorised in this behalf.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशांत कुमार, सचिव.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 जून 2016—ज्येष्ठ 12, शक 1938

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परंतुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (एक) अनुक्रमांक (उनतालीस) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए,
- (दो) अनुक्रमांक (चालीस) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव,

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 2 जून, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव,

Bhopal, the 2nd June 2016.

No. F. 30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to Rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-30-08-2002-X-3, dated 24th September, 2015, namely:—

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 अप्रैल 2017 — चैत्र 21, शक 1939

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के पंरतुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 30-08-2002-दस-3, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

सारणी में, प्रविष्टि (तिरपन) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	वृक्ष का नाम (2)	प्रजाति का नाम (3)
(चौवन)	आकाश नीम	मेलिगटोनिया हार्टेन्सिस
(पचपन)	अगस्त	सिसवानिया ग्राण्डी फलोरा
(छप्पन)	नारियल	कोकस न्यूसीफेरा
(सतावन)	खजूर	फोईनिक्स सिल्वेस्ट्रिस
(अठावन)	ताड़	बोरासस फ्लेबीलाईपुर
(उनसठ)	पेपर मलबरी	ब्राउसेन्सिया पपेरीफेरा
(साठ)	पांजारा	एरिथिना सबरोजा
(इकसठ)	झदेशड़ा	प्वाईन्टियाना एलाटा
(बासठ)	कस्तार	अलबीझिया अमारा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेन्द्र सिंह धाकड़, सचिव.



भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेन्द्र सिंह धाकड़, सचिव.

Bhopal, the 11th April 2017

No. F-30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to Rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government hereby makes the following further amendment in this Department's Notification No. F-30-08-2002-X-3, dated 24th September, 2015, namely:—

AMENDMENT

In the table, after the entry (liii) the following entries shall be inserted, namely:—

S. No. (1)	Name of Tree (2)	Name of Species (3)
(liv)	Akash Neem	Millingtonia hortensis
(lv)	August	Sesbania grandiflora
(lvi)	Narial	Cocos nucifera
(lvii)	Khajoor	Phoenix sylvestris
(lviii)	Tad	Borassus flabellifer
(lix)	Paper Mulberry	Broussonetia papyrifera
(lx)	Pajra	Erythrina Suberosa
(lxi)	Jhandesheda	Poinciana elata
(lxii)	Kastar	Albizia amara

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MAHENDRA SINGH DHAKAD, Secy.